प्रेषक,

निदेशक / एस0एल0एन0ए0,
नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0,
8 वॉ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, (द्वारा जिलाधिकारी)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : पी0एम0यू0 / 1459 / 349(3) / 2015 लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2015

विषय : स्वच्छ भारत मिशन के नेशनल अरबन सैनीटेशन पॉलिसी (NUSP) 2008 के अन्तर्गत सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–पी0एम0यू0 / 1343 / 349(3) / 2015 दिनांक 16 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपसे अपेक्षा की गयी थी कि निर्देशानुसार सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने, अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में कोर टीम का गठन, चेयरमैन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन तथा कन्सलटेन्ट का चयन करके अविलम्ब कार्य आरम्भ किया जाये। किन्तु कतिपय नगर पालिका परिषदों (सूची संलग्न) के अतिरिक्त अन्य नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही एवं सी0एस0पी0 बनाये जाने की प्रगति से अवगत नहीं कराया गया है। इस सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के नेशनल अरबन सैनीटेशन पॉलिसी (NUSP) के अन्तर्गत सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने की Concept Sanitation Strategy के अनुसार–

"It is understood that without a proper City Sanitation Plan and resulting state sanitation strategy, as indicated in National Urban Sanitation Policy-2008, comprehensive planning can not be achieved to attain the objectives of Swachh Bharat Mission. However, both the activities require time and wide consultation at various levels including citizen engagements"

उक्त परिपेक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन को आरम्भ करने तथा Target तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगांठ 02 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रदेश की प्रत्येक नगर निकाय द्वारा सिटी सैनीटेशन प्लान (CSP) बनाया जाना है। सिटी सैनीटेशन प्लान (CSP) के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. खुले में शौच जाने की प्रथा को समाप्त करना
2. सॉलिड वेस्ट से नगर को मुक्त करना
3. लोक स्थलो जैसे स्कूल, अस्पताल, पशुवधशाला, इन्डस्ट्रीज आदि स्थानो पर निकलने वाले वेस्ट का उचित डिस्पोजल करना।
4. जनमानस को विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके, स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं भारत के स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सिटी सैनीटेशन प्लान की गाइडलाइन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट **http://moudulbs.nic.in** के साथ–साथ नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट JNNURM वेबलिंक **http://localbodies.up.nic.in/JNNURM.htm** पर उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु निदेशालय से दिशा–निर्देश निर्गत करने के बाद भी अभी तक की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है। इस सन्दर्भ में पुनः अनुस्मारित किया जाता है कि नेशनल अरबन सैनीटेशन पॉलिसी की गाइडलाइन के अनुसार सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जानी है–

1. Base line data collection & household survey.
2. Situation & option analysis.
3. Consultation with stake holders and workshop.

4. Draft City Sanitation Plan.
5. Discussion with council and stake holders.
6. Final City Sanitation Plan.

सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा रहे सी0एस0पी0 (CSP) सम्बन्धित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है:–

1. Approval of Proposal by Sanctioning Committee of Govt of India 30%
2. Formation of City Sanitation Task Force, Base line Survey and completion of Draft City Sanitation Plan- 50%
3. Final City Sanitation Plan and Impact Assessment- 20%

सिटी सैनीटेशन प्लान पूर्ण करने हेतु चयनित की गई कार्यदायी संस्था को जारी कार्यादेश की तिथि से समस्त चरण नौ माह में पूर्ण किये जाने है। कार्यदायी संस्था का चयन कराते हुये समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा मे कराई जाये।

इसे अत्यन्त आवश्यक समझें तथा व्यक्तिगत रूचि लेकर सिटी सैनीटेशन प्लान बनाये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने, अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में कोर टीम का गठन, Monitoring and evaluation हेतु चेयरमैन की अध्यक्षता में सिटी सैनीटेशन टास्क फोर्स का गठन किये जाने, बैठको के कार्यवृत्त तथा कन्सलटेन्ट के चयन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को एक सप्ताह में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(किसी तकनीकी सुझाव एवं अधिक जानकारी हेतु डा0 मोहम्मद तकी, पी0एच0ई0/पी0आई0यू0 से मो0 नं0 9451950606 पर सम्पर्क किया जा सकता है)।

भवदीय,

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक/एस0एल0एन0ए0

<u>प्रतिलिपि</u>

1. सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग–1), उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. एम0आई0एस0 (पीएमयू), को इस आशय से प्रेषित कि इसे निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक/एस0एल0एन0ए0